E-mail

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–........................

संख्या–8 / आ0(राज0उ0)–02–30 / 2015 ....98..... / श्री मनोज कुमार सिंह, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, बेगुसराय सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत–सह–सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बक्सर पदस्थापन काल में अधीनस्थ कर्मियों पर अर्मयादित भाषा एवं जाति बोधक शब्द आदि का प्रयोग करना, बक्सर उत्पाद हाजत से अभियुक्त का फरार होना, कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा शिथिलता बरतने एवं सुरक्षा के मानको की अनदेखी करना एवं प्रशासनिक क्षमता का अभाव, मद्य निषेध नीति के विपरीत कार्य कर उत्पाद सिपाही श्री पंजियार से शराब की मांग करना तथा उनके अवकाश को अस्वीकृत करना एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधान के प्रतिकूल आचरण तथा बेगुसराय पदस्थापन काल में सरकारी दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही एवं सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0–1932 दिनांक 07.06.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव के पत्रांक–3166 दिनांक 15.11.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में बक्सर जिला के पदस्थापन काल में लगाये गये आरोप सं0–01, 02 एवं 04 को प्रमाणित एवं 03 को आंशिक प्रमाणित तथा बेगुसराय जिला के पदस्थापन काल में लगाये गये आरोप सं0–01 एवं 02 को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–3865 दिनांक–28.11.2018 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा दिनांक 18.12.2018 को द्वितीय बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान के समीक्षोपरांत श्री सिंह को निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 2005 के नियम–14 (v) के तहत् दो वार्षिक वेतन वृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(अभय राज)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8 / आ0(राज0उ0)–02–30 / 2015 .... / पटना, दिनांक–......................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8 / आ0(राज0उ0)–02–30 / 2015 ......98...... / पटना, दिनांक–...11.01.19...

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लै0 एवं हक0) बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव / आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव / उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत–सह–सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5 / आई0टी0 मैनेजर एवं श्री मनोज कुमार सिंह, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, बेगुसराय सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत–सह–सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।